बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण कार्य में प्रगति लाने हेतु लाभुकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने हेतु 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास प्रोत्साहन योजना' की स्वीकृति के संबंध में ।**

वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संपूर्ण राज्य में लागू है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक राज्य में कुल 35 लाख गृहविहीन परिवारों का आवास निर्माण कराया जाना है । वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का लक्ष्य 11.76 लाख के अनुरूप आवासों को दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है ।

(2). प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्गदर्शिका के अनुसार योजनान्तर्गत आवास की स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर आवास को पूर्ण किया जाना है । आवास का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं किये जाने का प्रावधान है ।

(3). यह पूर्ण रूपेण राज्य योजना है । इस योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभुक द्वारा आवास को एक निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कराने में सहायता मिलेगी तथा लाभुकों के समक्ष आवास की समस्या दूर होगी ।

(4). प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभुकों द्वारा आवास स्वीकृति से 4 माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण करने पर प्रति लाभुक प्रति आवास 1000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी तथा दिनांक 27.07.2018 के पूर्व स्वीकृत ऐसे आवास जो कि निर्धारित 4 माह की अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण हैं, ऐसे आवासों को दिनांक 27.07.18 से 2 माह के अंदर पूर्ण करने पर भी 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रति लाभुक प्रति आवास दी जायेगी ।

(5). राज्य योजना के अंतर्गत इस निमित्त बजट उपबंध से व्यय भार का वहन किया जायेगा ।

(6). आवास निर्माण की प्रगति यथेष्ट रहने पर भविष्य में भी बरकरार रखने हेतु उक्त व्यवस्था को आगामी वित्तीय वर्षों में भी यथावत जारी रखा जा सकेगा ।

(7). इस व्यवस्था की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा गुण-दोष के आधार पर प्रोत्साहन योजना में आवश्यक संशोधन करने के लिए विभाग स्वयं सक्षम होगा ।

(8). योजनान्तर्गत पात्र लाभुकों को प्रोत्साहन सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3/8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382803 पटना, दिनांक 03/08/2018

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(प्रोत्साहन)-102-58/2018

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382803 पटना, दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382803 पटना, दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382803 पटना, दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382803 पटना, दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव